न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 144/2021 दायर दिनांकः 12/08/2021

उनवान

1. रीना आयु 35 वर्ष पुत्री रमेशचंद पत्नि ब्रह्मानंद जाति मीणा निवासी खुरी तह0 अटरू जिला बारा (राज०)।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट
एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव।

आदेश दिनाकः 30/12/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं0 208 का ख00 282 का रकबा 2.25 है0 एवं ख0नं0 285 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 का 4.28 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिया का 1/18 हिस्सा दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। इसी प्रकार मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम व माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 207 की कुल किता 24 का रकबा 5.33 है0 आराजी वादिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिया का हिस्सा 1/36 दर्ज खात है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम व माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 208 में प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादिया का नाम रैणी पुत्री रमेशचन्द एवं वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी ग्राम व माल

खुरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 207 की भूमि वादिया का नाम रीना पुत्र रमेश दर्ज कर दिया गया । जो कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 208 में गलत दर्ज है। जबकि वादिया का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 207 में दर्ज रीना पुत्री रमेश है। वादिया को गांव में दो नामो से जाना जाता था जिसमें एक नाम रैणी भी है। इसी वजह से सहवन से वादिया का नाम अपने पीहर ग्राम खुरी की नकल जमाबन्दी खाता संख्या 208 में फोती इंतकाल खोलते समय रैणी पुत्री रमेशचन्द दर्ज हो गया है। ग्राम पंचायत खुरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादिया के दो नाम रैणी व रीना बताये गये है। जिससे स्पष्ट है कि वादिया का बोलचाल की भाषा में प्रेम से रैणी भी कहा जाता है। वादिया का नाम आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि रिकार्ड में रीना पत्नी बह्मानन्द पुत्री रमेशचन्द दर्ज है। जो उसका वास्तविक नाम है। इस सभी दस्तावेजात के आधार पर वादिया खाते में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के पास गयी तो उनने इंकार करते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इस कारण यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 14.07.2021 को वादिया द्वारा अपने रिकार्डेड दस्तावेजात, बैंक डायरी, परिचय पत्र, राशन कार्ड के आधार पर प्रतिवादी के पास वादिया अपना नाम खाते में दुरूस्त करवाने गई जिस पर प्रतिवादी ने खाते में नाम दुरूस्त करने से इंकार करते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम प्रथम व अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद घोषणा व नाम दुरूस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिन्हे धारा 80 सी.पी.सी. का मियादी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया गया है। परन्तु नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो वादिया को अपने कब्जे व स्वामित्व की वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रापत चले आ रहे हक अधिकारों व राज्य सरकार द्वारा दी जा ही सुविधाओं से वंचित होना पडेगा जिससे अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी। इसलिये धारा 80 '2' सी.पी.सी. के पृथक से प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान

टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादिया का नाम खाते में ग्राम व माल, खुरी की खाता संख्या 208 में रैणी पुत्री रमेशचंद को दुरूस्त करते हुये उसके स्थान पर रीना पुत्री रमेशचन्द की घोषणा की जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जो के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** का शपथ पत्र पेश किया गया।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में वादिया का नाम खाते में ग्राम व माल, खुरी की खाता संख्या 208 में रैणी पुत्री रमेशचंद को दुरूस्त करते हुये उसके स्थान पर रीना पुत्री रमेशचन्द की घोषणा की जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जो के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संवत 2074–2077 की जमाबन्दी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं0 208 का ख0ं0 282 का रकबा 2.25 है0 एवं ख0नं0 285 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 का 4.28 है0 में शामलाती खाते में रैणी पुत्री रमेशचन्द हिस्सा 1/18 दर्ज खाता है। जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार ग्राम व माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 207 की कुल किता 24 का रकबा 5.33 है0 में वादिया का नाम शामलाती खाते में रीना पुत्री रमेश दर्ज खाता है।

अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, में वादिया का नाम रीना बाई पत्नी ब्रह्मानन्द दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत खुरी के प्रमाण पत्र दिनांक 29.07.2021 के अनुसार रीना बाई पुत्री रमेशचन्द एवं रैणी बाई पुत्री रमेशचन्द निवासी खुरी दोनो नाम एक ही महिला के है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं0 208 का ख0ं0 282 का रकबा 2.25 है0 एवं ख0नं0 285 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 का 4.28 है0 में सहखातेदार रैणी पुत्री रमेशचन्द के स्थान पर रीना बाई उर्फ रैणी पुत्री रमेशचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 144 / 2021

उनवान

1. रीना आयु 35 वर्ष पुत्री रमेशचंद पत्नि ब्रह्मानंद जाति मीणा निवासी खुरी तह0 अटरू जिला बारा (राज०)।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>

<u>एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित भूमि आराजी ग्राम एवं माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं0 208 का ख00 282 का रकबा 2.25 है0 एवं ख0नं0 285 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 का 4.28 है0 में सहखातेदार रैणी पुत्री रमेशचन्द के स्थान पर रीना बाई उर्फ रैणी पुत्री रमेशचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...........................
........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.12.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)